



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 2007/ज्येष्ठ 9, 1929

No. 651]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 30, 2007/JYAISTHA 9, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2007

(आय-कर)

का.आ. 852(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर नियम, 1962 के नियम 2गक के उप-नियम (3) के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vi) और उप-खंड (vik) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के संबंध में धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (vi) और (vik) के प्रयोजनों के लिए 'विहित प्राधिकारी' के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित मुख्य आयुक्तों या महानिदेशकों को 1 जून, 2007 से प्राधिकृत करता है, अर्थात् :-

- (i) आय-कर निदेशक (छूट), अहमदाबाद की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए आय-कर मुख्य आयुक्त, अहमदाबाद-IV, अहमदाबाद, विहित प्राधिकारी होगा;
- (ii) आय-कर निदेशक (छूट) बंगलौर की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए आय-कर मुख्य आयुक्त, बंगलौर-I, बंगलौर, विहित प्राधिकारी होगा;
- (iii) आय-कर निदेशक (छूट) चेन्नई की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए आय-कर मुख्य आयुक्त, चेन्नई-III, चेन्नई, विहित प्राधिकारी होगा;

(iv) आय-कर निदेशक (छूट) हैदराबाद की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए आय-कर मुख्य आयुक्त, हैदराबाद-I, हैदराबाद, विहित प्राधिकारी होगा;

(v) आय-कर निदेशक (छूट) कोलकाता की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए आय-कर मुख्य आयुक्त, कोलकाता-III, विहित प्राधिकारी होगा;

(vi) आय-कर निदेशक (छूट) मुम्बई की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए आय-कर मुख्य आयुक्त, मुम्बई-I, मुम्बई, विहित प्राधिकारी होगा;

(vii) आय-कर निदेशक (छूट) दिल्ली की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए आय-कर मुख्य आयुक्त, दिल्ली, विहित प्राधिकारी होगा;

(viii) उपरोक्त (i) से (vii) में उल्लिखित मामलों से भिन्न मामलों के लिए, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक; जिसका अधिनियम की धारा 10 के खंड 23ग के उप-खंड (vi) और उप-खंड (vik) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था का निर्धारण करने की अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी अधीनस्थ हैं।

[अधिसूचना सं. 196/2007/फा. सं. 153/41/2007-टीपीएल]

वंदना रामचंद्रन, अवर सचिव